Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सिरोही में पुलिस थाना मंडार के थानाधिकारी एवं उसके दो दलाल 4 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *21 सितम्बर, बुधवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई द्वारा आज सिरोही में कार्यवाही करते हुये अशोक सिंह चारण उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना मंडार, जिला सिरोही को उसके दलाल अनिल कुमार एवं अभियमन्यु सिंह अधिवक्ता सहित परिवादी से **4 लाख रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज करवाये बलात्कार के मुकदमें में मदद करने तथा मामला हल्का करने की एवज में अशोक सिंह चारण उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना मंडार, जिला सिरोही द्वारा अपने दलाल अनिल कुमार एवं अभियमन्यु सिंह अधिवक्ता के माध्यम से **10 लाख रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी की जालोर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी अशोक सिंह चारण उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना मंडार, जिला सिरोही को उसके दलाल अनिल कुमार पुत्र श्री पर्वत सिंह निवासी ग्राम झांवर, थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही (प्राईवेट व्यक्ति) एवं अभिमन्यु सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह निवासी ग्राम झांकर, थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही (अधिवक्ता) सहित परिवादी से **4 लाख रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।